प्रेस विज्ञप्ति
26/02/2026

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में धन शोधन के अपराध के संबंध में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति आदेश माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत।

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ईसीआईआर संख्या 07/एचआईयू/2017 में जांच प्रारंभ की थी। यह जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 15.05.2017 को पंजीकृत प्राथमिकी संख्या आरसी2202017 ई 0011 के आधार पर प्रारंभ की गई थी, जो मेसर्स आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आईएनएक्स न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड, श्री कार्ति पी. चिदंबरम एवं अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी सहपठित धारा 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8, 13(2) एवं 13(1)(d) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों से संबंधित है।

वर्तमान मामले में जांच से यह स्थापित हुआ है कि भारत सरकार में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में श्री पी. चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान मेसर्स आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की स्वीकृति प्रदान की गई। आगे यह भी उजागर हुआ कि उक्त एफआईपीबी स्वीकृति प्रदान करने तथा तत्पश्चात उसे नियमित करने के प्रतिफलस्वरूप अवैध पारितोषिक की मांग की गई तथा उसे श्री कार्ति पी. चिदंबरम, पुत्र श्री पी. चिदंबरम, के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण एवं लाभकारी स्वामित्वाधीन संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया।

जांच से यह भी स्थापित हुआ कि उक्त राशि को शेल कंपनियों के माध्यम से प्रवाहित किया गया, जिनमें मेसर्स एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएससीपीएल) तथा उससे संबद्ध संस्थाएं शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री कार्ति पी. चिदंबरम के नियंत्रण एवं लाभकारी स्वामित्वाधीन थीं। उक्त निधियों को मेसर्स वासन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स एजीएस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों में निवेश के माध्यम से स्तरीकृत (लेयरिंग) एवं एकीकृत किया गया तथा बाद में शेयरों की बिक्री एवं विदेशी निवेशों के माध्यम से उनकी राशि में वृद्धि की गई।

जांच से यह स्थापित हुआ है कि श्री कार्ति पी. चिदंबरम तथा उनके निकट सहयोगियों ने श्री पी. चिदंबरम की ओर से कार्य करते हुए एफआईपीबी स्वीकृति से संबंधित मामलों में आईएनएक्स मीडिया के प्रतिनिधियों से संपर्क किया तथा उससे उत्पन्न अपराध की आय एकत्रित की। उक्त अपराध की आय को बाद में धन शोधन के उद्देश्य से स्थापित शेल कंपनियों के माध्यम से प्रवाहित किया गया, विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में जटिल लेन-देन के माध्यम से स्तरीकृत किया गया, जबकि किसी वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि का अस्तित्व नहीं था, तथा धन शृंखला को छिपाने हेतु संरचित किया गया। तत्पश्चात उक्त निधियों का उपयोग बैंक खातों में जमा करने तथा भारत एवं विदेशों में शेल संस्थाओं एवं सहयोगियों के नाम पर चल एवं अचल परिसंपत्तियों में निवेश के लिए किया गया।

अपराध की कुल आय का निर्धारण लगभग ₹ 65.88 करोड़ किया गया है। इनमें से ₹ 53.93 करोड़ (दिनांक 10.10.2018 के आदेश द्वारा कुर्क) तथा ₹ 11.04 करोड़ (दिनांक 31.03.2023 के आदेश द्वारा कुर्क) की राशि को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है तथा दोनों कुर्की आदेशों की पुष्टि माननीय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा की जा चुकी है।

इसके पश्चात, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 44 एवं 45 सहपठित धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत अभियोजन शिकायत दिनांक 01.06.2020 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), राउज़ एवेन्यू न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष दायर की गई। दिनांक 24.03.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम (अभियुक्त-1), श्री कार्ति पी. चिदंबरम (अभियुक्त-7) तथा अन्य 8 व्यक्तियों/संस्थाओं को अभियुक्त के रूप में आरोपित किया गया। इसके पश्चात, दिनांक 16.12.2024 को अनुपूरक अभियोजन शिकायत भी दायर की गई। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मामले के परीक्षण को शीघ्रता प्रदान करने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 06.11.2024 को "प्रवर्तन निदेशालय बनाम बिभू प्रसाद आचार्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 4314-4316/2024" में निर्णय पारित करते हुए यह अभिधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 44(1)(ख) के अंतर्गत दायर शिकायतों पर भी लागू होती है। उक्त निर्णय के पश्चात धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरोपित अनेक अभियुक्तों द्वारा विभिन्न न्यायिक मंचों पर परीक्षण कार्यवाही को चुनौती दी गई, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षण में विलंब हुआ। ऐसे विलंब को दूर करने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन हेतु प्रवर्तन निदेशालय ने लोक सेवकों से संबंधित ऐसे सभी प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक प्रारंभ की है।

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में, वर्तमान प्रकरण में श्री पी. चिदंबरम के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन स्वीकृति मांगी गई तथा दिनांक 10.02.2026 को श्री पी. चिदंबरम के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218) के अंतर्गत दिनांक 10.02.2026 का आदेश भी पारित किया गया, जिसके द्वारा तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम के विरुद्ध धन शोधन के अपराध में अभियोजन की अनुमति प्रदान की गई।

मामले की परीक्षण को शीघ्रता प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रवर्तन निदेशालय द्वारा माननीय विशेष न्यायालय, राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।